कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वॉ तल उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / यू0जी0 / 2022 /   लखनऊःदिनांक 18 अप्रैल, 2022

यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 के अन्तर्गत विस्तारित (Extended) मॉप–अप राउन्ड हेतु समय–सारिणी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश

राजकीय / निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थानों / विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विस्तारित मॉप–अप राउन्ड की समय सारिणी निम्नवत् है:–

क0सं0	विवरण	दिनांक
1	राजकीय क्षेत्र की मेडिकल / डेंटल कालेज की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 26 अप्रैल 2022 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से
2	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों पर आवंटन की तिथि	दिनांक 26 अप्रैल 2022 को अपरान्ह 2.00 बजे से
3	प्रवेश लेने की तिथि	आवंटन की तिथि को ही प्रवेश प्रकिया सम्पन्न होगी। On Spot Admission

- राजकीय क्षेत्र की सीटो हेतु पूर्वान्ह 10:00 बजे तथा निजी क्षेत्र की सीटो हेतु अपरान्ह 01:00 बजे अभ्यर्थियो को काउन्सिलिंग स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है।
- विस्तारित मॉप–अप राउन्ड में वही अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते है, जिन्होने मॉप–अप राउन्ड दिनांक 23.03.2022 से 26.03.2022 के मध्य पंजीकरण कराया हो, तथा उनका नाम मेरिट लिस्ट में नाम सम्मिलित हो।
- विस्तारित मॉप–अप राउन्ड का आयोजन **के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कलाम सेंटर** में किया जायेगा।
- विस्तारित मॉप–अप राउन्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होगे, जिन्हें यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 की प्रथम, द्वितीय कांउसिलिंग एवं मॉप–अप राउन्ड के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- यू0पी0 नीट यू0जी0–2021 की प्रथम, द्वितीय कांउसिलिंग एवं मॉप–अप राउन्ड से आवंटन प्राप्त प्रवेशित / अप्रवेशित / त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी विस्तारित मॉप–अप राउन्ड हेतु अर्ह नही है।
- बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी अपने पाठ्यक्रम से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में अपग्रेड हेतु विस्तारित मॉप–अप राउन्ड की प्रकिया में प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष के किसी भी राज्य / ऑल इण्डिया के माध्यम से नीट यू0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेशित है वह विस्तारित मॉप अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होगे।
- राजकीय क्षेत्र के सीटों हेतु रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार मात्र), निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 सीटों हेतु रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) की सिक्योरिटी धनराशि का **बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training,U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नगद (Cash) जमा नही की जायेगी।**
- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रकिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- विस्तारित मॉप–अप राउन्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण–पत्र व अन्य आवश्यक अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश के संबंध में विचार नही किया जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज / विश्वविद्यालय में आंवटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित कालेज का शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट रू0 10.50 लाख का एवं सिक्योरिटी धनराशि तथा हास्टल शुल्क रू0 4.50 लाख का **सी0टी0एस0** बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training,U.P) Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।** अभ्यर्थी द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की निर्धारित शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि आवंटित / प्रवेशित मेडिकल कालेज के **खाते में ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य होगा।**
- **उक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त यू0पी0 नीट यू0जी0 2021 हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 17.01.2022 तथा ब्रोशर में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुये विस्तारित मॉप–अप राउन्ड सम्पन्न किया जायेगा।**

- मॉप–अप राउन्ड की कार्यवाही सीटें उपलब्ध होने तक ही की जायेगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** **&** ***www.dgme.up.gov.in*** पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर उक्त वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक

संख्या–एम0ई0–3/यू0जी0/2022/ 896 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
5. रजिस्ट्रार, के0जी0एम0यू0, लखनऊ/उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ, तथा प्रधानाचार्य/निदेशक, राजकीय मेडिकल कालेज, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड तथा वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
6. मेसर्स, एम0एम0 एडवरटाईजिंग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना दैनिक समाचार पत्र के दैनिक हिन्दुस्तान के लखनऊ, प्रयागराज कानपुर, गोरखपुर, झॉसी तथा वाराणसी एवं अमर उजाला के लखनऊ, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ, मेरठ तथा बरेली के संस्करणों में **दिनांक 19.04.2022** को सूक्ष्म अक्षरो, न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल 02 प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
7. सम्बद्ध अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना विभाग की वेबसाईट ***www.dgme.up.gov.in*** पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।
8. प्रभारी अधिकारी, के0जी0एम0यू0, कलाम सेंटर लखनऊ
9. आहरण–वितरण अधिकारी/कैशियर चिकित्सा शिक्षा।
10. शिविर सहायक, महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
11. नाजिर, चिकित्सा शिक्षा।

(महानिदेशक)
चिकित्सा शिक्षा